पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी ग्राम-बड़ाशा की वर्तमान जमाबंदी के खाता नं. 759, 758 में खातेदार का नाम ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामा दर्ज है, जबकि बाकी के अन्य दस्तावेजों में ग्यारसीलाल पुत्र रामा दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में उक्त त्रुटि जाँच के दौरान के नामा. से दर्ज हुई थी, अतः बाकी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ग्यारसी लाल पुत्र रामा किया जाना उचित होगा। [signature]
पट्वारी-बड़ाशा

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

सुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अंकन दुरुस्त है। [signature] 03/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

सुताबिक रिपोर्ट पटवारी सं० 212 एवं भू०अ०रि० [signature]
शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
572

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक / 286 दिनांक:– 6/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती का करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बड़ाशा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत 2075 के खाता संख्या 759 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
759	ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामा जाति बदाबुर	किला-10	1.04	ग्यारसीलाल पुत्र [illegible]	किला-10	1.04
758	—do—	3449	0.11	[illegible]	3449	0.[illegible]

[illegible] 6/10/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

शुल्क:- 5300-01

प्रतिलिपि: 1 तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थ
2 आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर